Websites:
http://www.sciencepub.net/academia
http://www.sciencepub.net

Emails:
aarena@gmail.com
editor@sciencepub.net

Academia Arena

MARSLAND PRESS
Multidisciplinary Academic Journal Publisher

A review of the literature available for practical study of the status of women in Panchayati Raj institutions after the 73rd Constitutional Amendment in India

भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

Dr. Madhu

Assistant Professor in Political Science, Isharjyot Degree College Pehowa, Kurukshetra, Haryana (India)
Email-ajayindorakuk@yahoo.com; Contact No. -91+8814819789

Abstract: After the 73rd Constitutional Amendment in India, a number of books, research papers and magazines have been published for practical study of the status of women in Panchayati Raj Institutions. Which reflect the status of women in panchayati raj institutions in various ways. The authors have described the usefulness of Panchayati Raj institutions in their lives in their book and analyzing the 73rd Constitutional Amendment raised the question as to what the new Panchayati Raj system will be like. After clarifying the structure system of Panchayats at the national level, the scope of work of Gram Sabha and Panchayats has been discussed.

[Madhu. **A review of the literature available for practical study of the status of women in Panchayati Raj institutions after the 73rd Constitutional Amendment in India.** *Academ Arena* 2021;13(5):1-10]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). http://www.sciencepub.net/academia. 1. doi:10.7537/marsaaj130521.01.

Keywords: review; literature; study; women; institution; Constitutional Amendment; India

सारांश: भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए अनेक प्रकार की पुस्तके, शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। जो विभिन्न प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती हैं। लेखको ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की जीवन में उपयोगीता का वर्णन किया हैं तथा 73वें संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण करते हुए यह प्रश्न उठाया कि नई पंचायती राज व्यवस्था कैसी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों की संरचना प्रणाली को स्पष्ट करने के बाद ग्राम सभा व पंचायतों के कार्य क्षेत्र पर विवेचन किया गया हैं।

कुंजी शब्द :**हरियाणा, ग्रामीण पंचायती राज, उपलब्ध साहित्य की समीक्षा**

परिचय: पंचायती राज प्रणाली लोकतन्त्रीय शासन की नींव हैं। पंचायतों का वर्णन रामायण, वैदिक काल तथा महाभारत के समय से होता आ रहा है। इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन समय से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में सैद्धांतिक रूप से ग्रामीण समुदाय में सामाजिक संरचना जैसे- जाति, संयुक्त परिवार व ग्राम पंचायतें रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भी पंचायती राज प्रणाली में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने ग्रामीण जनहितार्थ विकासात्मक अनेक कार्य किए है।[1] पंचायती राज प्रणाली देश को सुदृढ़ व समृद्ध बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। जब तक देश में पंचायती राज प्रणाली को सक्षम नहीं बनाया जाता है तब तक देश के असंख्य निर्धन परिवारों तक विकास का वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है एवम् तभी हम अपनी सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार रूप दे सकते हैं। यदि हम अतीत पर अपनी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि पंचायती राज प्रणाली हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक अंग है।[2] अनेक इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक काल में भी हमारे देश में पंचायती राज प्रणाली विद्यमान थी। प्राचीन भारत में पंचायत

मूलत: एक लघु प्रशासनिक इकाई थी जो समस्त ग्रामीण जनों की समस्याओं का निदान ढूँढती थी। पंचों को परमेश्वर के तुल्य समझा जाता था। क्योंकि ये पंच अपना दायित्व पूर्ण निष्पक्ष और नि:स्वार्थ भाव से निभाते थे। समय और परिस्थितियों के अनुसार नगर और कस्बों के स्वरूप में परिवर्तन आते गए परन्तु भारत के ग्रामीण अंचलों में पंचायती राज प्रणाली पहले की भांति ही कार्य करती रही।[3]

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए अनेक प्रकार की पुस्तके, शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। जो विभिन्न प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए साहित्य का वर्णन निम्न प्रकार से है:

महात्मा गांधी, "टू दा वीमेन ऑफ इंडिया: यंग इंडिया", 4 अक्टूबर, 1930, पृष्ठ संख्या 142 । गाँधी जी ने महिलाओं की पंचायती राज मे भूमिका का वर्णन किया है। इसमें गाँधी जी ने महिलाओं की शिक्षा पर ज़ोर दिया है। गाँधी जी ने कहा है की अगर महिलाओं को शिक्षा तथा पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए तो महिलाएं पुरुषों से बेहतर साबित हो सकती है।

सुरेश सिंह ढिल्लन, "भारत में स्थानीय स्वशासन", राधा प्रकाशन जयपुर, 1955, पृष्ठ संख्या 47 । लेखक ने दक्षिण भारतीय गाँवों के नेतृत्व तथा वर्ग सम्बन्धी अध्ययन किया था। उसने अपने अध्ययन के आधार पर स्प्ष्ट किया है कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में परिवार का सामाजिक व आर्थिक स्तर व्यक्तिगत के लक्षण को प्रभावित करता हैं।

ऑस्कर लेविस, "ग्रामीण विकास और पंचायती राज", क्लासिक कम्पनी पब्लिकेशन, जयपुर, 1985, पृष्ठ संख्या 45 । इस पुस्तक में उतर भारत के ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भारत के ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तिगत के लक्षण, शिक्षा, पारिवारिक प्रभावशीलता तथा देश आदि तत्वों पर निर्भर करता हैं।

बैजनाथ सिंह, "द रनपुर ऑफ़ द कम्युनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रुरल लीडरशिप", ऑक्स्फ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1959, पृष्ठ संख्या 413 । लेखक ने यह शोध सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ग्रामीण नेतृत्व पर प्रभावों को उतर प्रदेश में इटावा जिले के संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर किया हैं। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया हैं। इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन मूल्यों तथा आशाओं का सूत्रपात हुआ है।

बैंकटरया मालून और रेड्डी राम, "पंचायती राज इन आंध्रप्रदेश स्टेट ऑफ़ पंचायती राज हैदराबाद", उनिक पब्लिकेशन, हैदराबाद, 1967, पृष्ठ संख्या 218। इस शोध में पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए पंचायती संस्थाओं की बेहतरी के लिए गठित विभिन्न समितियों की अनूसंस्थाओं की विवेचना की हैं तथा आंध्रप्रदेश प्रदेश में लागू पंचायती राज व्यवस्था का चित्रण करते हुए इन संस्थाओं का वितीय, प्रशासनिक तथा राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण किया गया हैं।

भानु सिंह भार्गव, "पंचायती राज सिस्टम एंड पोल्टिक्स पार्टीज", आशीष पब्लिकेशन, हाउस, नई दिल्ली, 1979, पृष्ठ संख्या 31 । लेखक ने स्थानीय नेतृत्व सम्बन्धी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख नेताओं तथा उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनीतिक सम्बन्ध विकसित हुए जिसके तहत पंचायती स्तर का विकासात्मक नेतृत्व उच्च स्तर के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हैं।

राजीव दयाशंकर, "लीडरशिप इन पंचायती राज", पंचशील प्रकाशन जयपुर, 1979, पृष्ठ संख्या 197 । लेखक ने पंचायतों के नेतृत्व सम्बन्धी अध्ययन में महाराष्ट्र राज्य के एक जिले के त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नेतृत्व के अध्ययन से बताया कि

शहरी क्षेत्र में शहरीकरण व औधोगिकरण की प्रक्रिया के कारण जाति व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ हैं।

सुरेश देव चौधरी, "अमर्जिंग रुरल लीडरशिप इन इंडिया", स्टेट मयान पब्लिकेशन हॉउस, 1981, पृष्ठ संख्या 117 । लेखक ने उभरते ग्रामीण विकास नेतृत्व को स्पष्ट किया है तथा यह अध्ययन सर्वेक्षण से एकत्रित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। इस अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय स्वशासन में नेतृत्व की पृष्ठ भूमिका एवम् उसकी कार्यप्रणाली को समझाने हेतु उचित दिशा मिलती है।

इलजाल अनीस जैदी, "पोल्टिक्स पावर एंड लीडरशिप इन रुरल इण्डिया", कोमनवल्थ, नई दिल्ली, 1988, पृष्ठ संख्या 238 । इस पुस्तक में उतरी भारत के गाँवों में राजनीतिक परिदृश्य का गहन एवम् सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में स्वतंत्रता के पश्चात् से लेकर 1982 तक राजनीतिक विकास को समाहित करते हुए ग्राम पंचायतों के चुनावों का विश्लेषण किया हैं।

रवि कुमार शर्मा, "पोल्टिक्स लीडरशिप", अमर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ संख्या 291 । लेखक ने अपनी पुस्तक में ग्रामीण राजनीतिक नेतृत्व को जनता के विचारों के प्रभाव, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का राजनीतिकरण एवम् विकास के सन्दर्भ में विश्लेषण किया है।

चक्रवर्ती और भट्टाचार्य, "लीडरशिप फंगशन एंड पंचायती राज", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1993, पृष्ठ संख्या 91 । लेखकों ने अपनी पुस्तक में गुटबंदी तथा पंचायती राज का वर्णन किया है। उन्होंनें अपने अध्ययन में ग्रामीण शक्ति संरचना का ग्रामीण राजनीति से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए ग्रामीण नेतृत्व विभाजन का भी अध्ययन किया है।

सुनील कैशिक, "रुरल ऑफ़ पंचायती राज एंड वीमेन रिजर्वेशन", जर्नल ऑफ़ हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस, 1993, 4(8), पृष्ठ संख्या 96 । लेखक ने अपने शोध पत्र में महिलाओं का पंचायती राज में अध्ययन करते हुए कहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रस्ताव के बाद यह अध्ययन विषय के लिए महत्वपूर्ण है।

शकुन्तला शर्मा, "ग्रासरूट पॉलिटिक्स एंड पंचायती राज", दीप एंड दीप पब्लिकेशन, 1994, पृष्ठ संख्या 86 । लेखिका ने अपनी पुस्तक में स्थानीय राजनीतिक तथा पंचायती राज का वर्णन किया है। इस पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के साथ, पंचायतों के नेतृत्व का पंचायती चुनाव एवम् मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में विश्लेषण किया है।

सांसद एवम् विधायक बीजू पटनायक तथा शिवराज पाटिल, "पंचायती राज", इंस्टीट्यूट ऑफ़ शोशल साईंस, नई दिल्ली, 1994, पृष्ठ संख्या 86 । दोनों लेखकों ने अपनी पुस्तक में विधायकों की ऐतिहासिक समीक्षा की है। स्थानीय लोगों के विकास में सांसदों की भूमिका, विधायको की पंचायती राज में भूमिका तथा पंचायती राज को प्रभावित बनाने के लिए उनका योगदान आदि तथ्यों का विश्लेषण किया है।

गुरु देव भट्ट, "दिस थ्री सिस्टम पंचायती राज एंड ट्रेडिशनल रूरल पॉलिटिक्स", 1994, पृष्ठ संख्या 86 । लेखक ने अपने शोध पत्र में पिथोरागढ़ (उतर प्रदेश) में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था व ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में वर्णन किया है। इस आन्दोलन में ग्रामीण परम्परागत राजनीतिक अभिजन वर्ग के स्थान पर नए विकास की व्यवस्था की हैं।

उम्मन तथा अभिजित दन्त, "पंचायती राज एंड देयर फाइनेंस", रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ संख्या 91 । इस पुस्तक में पंचायतों तथा उनकी वितीय व्यवस्था पर अध्ययन किया हैं। प्रस्तुत अध्ययनों में उन्होंनें वर्तमान पंचायतों की वितीय व्यवस्था की संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन एवम् 10वें वित्त आयोग की शिफारिश के सन्दर्भ को भी विश्लेषित किया है।

जार्ज मान तथा रमेश चन्द, "पंचायतों के व्यवहार में क्या लाभ है, इनमें शोषित वर्गो को", चन्द्र पब्लिकेशन हाउस, जोधपुर, 1994, पृष्ठ संख्या 181 । लेखक ने अपनी पुस्तक में आज हमारे गाँव क्या हैं, ग्राम वासियों ने किस तरह का जीवन व्यतीत

किया हैं, गाँवों की सामाजिक व्यवस्था क्या सचमुच बदली है आदि का वर्णन किया हैं।

गिरिस कुमार तथा बुद्धदेव घोष, “पंचायती राज इलेक्शन”, कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 73 । लेखकों ने अपनी पुस्तक में पश्चिम बंगाल में मई, 1996 के चुनावों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में चुनावों की सहभागिता तथा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली जैसे दोनों महत्वपूर्ण कार्यो को सम्मलित किया हैं।

भोला नाथ घोष, “रूरल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट”, मोहित पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 42 । लेखक ने अपने अध्ययन में ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण किया है। वही ग्रामीण नेतृत्व के मुद्दों की भूमिका को भी स्पष्ट किया हैं।

राजेन्द्र कुमार सिंह, “ग्रामीण राजनीति अभिजन”, क्लासिक पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 142 । इस पुस्तक में पूर्वी उतरप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन किया हैं तथा पंचायती राज व्यवस्था एवम् ग्रामीण विकास के व्यावहारिक पक्षों को इसमें उजागर करते हुए ग्रामीण राजनीति परिवेश को स्पष्ट किया हैं।

बल्लम शरण, “नई पंचायती राज व्यवस्था, 73वाँ संवैधानिक संशोधन और राज्याधिनियम” कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 181 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की जीवन में उपयोगीता का वर्णन किया हैं तथा 73वें संवैधानिक संशोधन का विश्लेषण करते हुए यह प्रश्न उठाया कि नई पंचायती राज व्यवस्था कैसी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों की संरचना प्रणाली को स्पष्ट करने के बाद ग्राम सभा व पंचायतों के कार्य क्षेत्र पर विवेचन किया गया हैं।

महिपाल, “पंचायती राज में महिलाएं: अतीत, वर्तमान एवम् भविष्य”, शर्मा पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1997, पृष्ठ संख्या 181 । लेखक ने पंचायती राज व्यवस्था में अतीत से लेकर आज तक जो परिवर्तन आए है उसकी संक्षिप्त विवेचना करते हुए वर्तमान व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। कुछ राज्य जैसेः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि के अधिनियमों की मुख्य विशेषताओं को भी इस पुस्तक में रेखांकित किया है।

अशोक वाजपेयी, “पंचायती राज एवम् ग्रामीण विकास”, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 1997, पृष्ठ संख्या 22 । इस पुस्तक में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, ताईवान, दक्षिण कोरिया तथा जापान आदि देशों को स्वशासन की संस्थाओं के संस्थागत स्वरूप को विश्लेषित किया है।

राजेन्द्र प्रसाद जोशी, “पंचायत का संवैधानिकरण”, रावत पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1997, पृष्ठ संख्या 88 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज से सम्बन्धित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण किया है। प्रस्तुत अध्ययन में पंचायती राज में क़ानूनी, संवैधानिक पक्ष, पंचायती राज व आरक्षण नीति, राज्यों की शक्ति, महिला भागीदारी व राज्य वित आयोग आदि से सम्बन्धित विषय एवम् समस्याओं के समाधान के विशेष सन्दर्भ का विश्लेषण किया है।

यतीन्द्र सिंह, “मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था”, आई. सी. एस. एस. आर., उज्जैन, 1998, पृष्ठ संख्या 301 । लेखक ने अपनी पुस्तक में मध्यप्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित समस्याओं को स्पष्ट करते हुए उसकी समस्याओं को क्रमवार विश्लेषित किया है।

सीमा सेठ, “पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता: रोहतक जिले का अध्ययन”, एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 1998, पृष्ठ संख्या 1-201 । इस लघु शोध में कहा कि उच्च स्तर की संस्था (जिला-परिषद) में महिला सहभागिता का स्तर भी उंचा है। जबकि मध्यम व निम्म स्तर की संस्थाओं (ब्लाक स्तर व ग्राम पंचायत) में महिला प्रतिनिधियों की सहभागिता का स्तर भी क्रमशः मध्यम और निम्म है। इसके लिए

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा जागरूकता का स्तर उतरदायी है। अधिकतर महिला सदस्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने परिवार या समुदाय के पुरुष वर्ग की इच्छा के अनुसार चुनाव लड़ती हैं।

संदीप जोशी, "पंचायतों का वितीय पोषण", आई. सी. एस. एस. आर., उज्जैन, 1998, पृष्ठ संख्या 97 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायतों की वितीय स्थिति का मध्य प्रदेश के संन्दर्भ में अध्ययन किया है। इस अध्ययन में वित के उपबंधों की व्यवस्था करते हुए पंचायतों की वितीय समस्या हेतु सुझाव दिया है।

जार्ज मैथ्यू, "स्टडी ऑफ़ पंचायती राज इन मध्य प्रदेश", रावत पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ संख्या 1-203 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज को एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लिखित समस्याओं से समृद्ध पाठ्य सामग्री द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक आदि राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया हैं।

ब्रहमदेव शर्मा, "सहभागिता एवम् विकेन्द्रीकरण विकास", इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1999, पृष्ठ संख्या 23 । लेखक ने अपने अध्ययन में आचार-विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रविष्ट प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। परन्तु फिर भी अधिकार पत्र, रूप पत्र, प्रावधान में लघु की मालिक, सम्पदा के मामलो में लघु जन निकायों की व्यवस्था को ही ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में सोचा गया है।

राज सिंह, "न्यू पंचायती राज फंक्शनल एनालिसिस", यूनिक पब्लिकेशन हैदराबाद, 1967, पृष्ठ संख्या 1-311 । लेखक ने अपनी पुस्तक में नई पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की हैं। इसमें कुछ लेख महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी व उनके सामने आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया है जिसमें 'पार्टीस्पेटरी रोल ऑफ़ वीमैन सरपंचिज एंड पंचिज इन पंचायत', 'द वीमैन इन पंचायती राज: ए केस स्टडी' तथा 'हैसबैंड राज इन पंचायत' महत्वपूर्ण है। दुसरे भाग के लेख में पंचायती राज क्षमता निर्माण से सम्बन्धित है जिसमें स्थानीय स्तर पर शिक्षण की आवश्यकताओं तथा ज्ञान के स्तर के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तीसरा भाग महिलाओं की उन समस्याओं से सम्बन्धित है जिनका सामना वे प्रतिनिधि के रूप में अपने कृत्वयों का निर्वहन करते हुए करती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं का महिला सशक्तिकरण, उनकी भागीदारी और समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। स्थानीय स्तर पर शक्ति के विकेंद्रीयकरण को संदर्भित करने का प्रयास भी किया गया है। सहभागी विकास तथा गांधीवादी दृष्टिकोण को भी पुस्तक में पंचायती राज के सन्दर्भ में स्पष्ट किया गया है। अत: यह पुस्तक 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद उसके क्रियान्वयन का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है।

अजय भारद्वाज, "पंचायती राज में महिला सरपंचो की भागीदारी: रोहतक जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 2000, पृष्ठ संख्या 1-197 । इस शोध में महिला सरपंचों के उतरदाता से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर स्पष्ट किया गया हैं कि महिलाओं के विचारों में उनके पंचायत संबंधी कार्यों पर उनके पति और पुत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है बल्कि उनका सहयोग है, जिनके बल पर वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाती है। महिला सरपंचों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में जब वे पढ़ी-लिखी नहीं है, पंचायत प्रक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं जानती तथा प्रशासन की तरफ से भी मदद की कोई व्यवस्था नहीं है तो बिना पारिवारिक सहयोग के वे कैसे अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है।

यतीन्द्र सिंह सिसोदिया, "पंचायत राज एवम् अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000, पृष्ठ संख्या 46 । यह पुस्तक पंचायतों में आए अनुसूचित जाति की महिला नेतृत्व के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के उज्जैन की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित अनुसूचित जाति महिला सरपंचों का अध्ययन किया

गया है। पुस्तक में लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत एवम् मध्यप्रदेश में पंचायती राज की विकास की विशेष विवेचना की गई है। इसमें अनुसूचित जाति के महिला नेतृत्व की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक अभिरुचि और सजगता एवम् पंचायती राज के क्रियान्वित पक्षों को भी विश्लेषित किया गया है। सिसोदिया ने पाया कि पंचायती राज की बहुविविध गतिविधियों में अनुसूचित जाति महिला वर्ग के नेतृत्व की स्थिति प्रशिक्षणार्थी के समान रही है। निरक्षरता, कमजोर सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि, कार्य के औपचारिक अनुभव का अभाव आदि जैसे कारणों से इस नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति अनभिज्ञता दिखाई दी। इसके बावजूद ग्रामीण विकास पंचायत की समस्याएं, अनुसूचित जाति उत्थान जैसे विषयों पर इस नेतृत्व ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। अत: उम्मीद की जाती है कि अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी आने वाले समय में ज्यादा सजग तथा जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी ।

नामबियर, "मेकिंग दा ग्राम सभा वर्क", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2001, पृष्ठ संख्या 51 । लेखक ने अपनी पुस्तक में विभिन्न ग्राम सभा संगठनों का अध्ययन किया। जिसमें पाया गया कि ज्यादातर 80% प्रतिनिधि महिला ऐसी थी जिनको ग्राम सभा की बैठक मे बुलाया ही नहीं जाता था तथा करीब 17% प्रतिनिधि महिला ऐसी थी जिन्हें ग्राम सभा में बुजुर्ग व्यक्तियों के सामने बोलने ही नहीं दिया जाता था।

बीना वर्मा, "हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: जिला अम्बाला का एक अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2001, पृष्ठ संख्या 1-167 । लेखक ने अपने लघु शोध में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 का विश्लेषण करते हुए इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की है तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि आरक्षण महिलाओं की स्थिति में बदलाव नहीं ला पाया है। अध्ययन में पाया कि महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता व सहभागिता दोनों ही अभी निम्म स्तर पर है।

किशन कुमार शर्मा, "भारत में पंचायती राज", ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 57 । इस पुस्तक में ग्रामीण स्थानीय सरकार के इतिहास का वर्णन करते हुए लेखक ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ग्राम स्वराज पर गाँधी जी के विचारों को स्पष्ट किया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के गुण-दोष, स्वरूप एवम् संरचना तथा 72वां संवैधानिक संशोधन भी शामिल किया है। पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण को स्पष्ट करते हुए राजस्थान में पंचायती राज तथा विभिन्न स्तरों पर उसकी विभिन्न संस्थाओं जैसे- ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद् के सम्बन्धों का वर्णन रेखांकित किया है। विभिन्न राज्य जैसे: उतरप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंद्रप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इनके तुलनात्मक दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है। पंचायती राज में अधिकारी और गैर अधिकारी वर्ग की भर्ती, प्रशिक्षण तथा ग्रामीण विकास संस्थाओं व पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यो पर भी प्रकाश डाला है। पंचायतों की वितीय व्यवस्था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि पर भी विचार किया गया है।

मधु राठौड, "पंचायती राज और महिला विकास", पाइनीर पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2002, पृष्ठ संख्या 1-233 । इस पुस्तक में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप, ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम तथा विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकार, कानून तथा समस्याओं का वर्णन किया है। साथ ही भावी पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव दिए है तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं व विषय से सम्बन्धित विविध आयामों तथा नवीन विचारधारा के प्रभावों का वर्णन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के राजनीतिक दलों से

सम्बन्ध एवम् वर्तमान में इन संस्थाओं में जनता की भागीदारी के विषय को भी उभारा गया है। पुस्तक का उद्देश्य नियंत्रण एवम् वित सम्बन्धी समस्याओं का विश्लेषण करके सुधारात्मक सुझावों की अनुशंसा करना भी है।

कुसुम लता, "ए स्ट्रक्चर एंड वर्किंग इन पंचायती राज इन हरियाणा", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2002, पृष्ठ संख्या 1-187 । प्रस्तुत शोध के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में सब कुछ ठीक नहीं है| वर्ष 1994 के पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के साथ-साथ उनके अनुसार भावानुरूप लागु करना भी आवश्यक है। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों को अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

सुशील राज बक्शी, "इम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन एंड पॉलिटिक्स ऑफ़ रिर्जवेशन", सर्वोदय पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 1-303 । इस पुस्तक में महिलाओं की स्थिति और विकास का वर्णन किया गया है। लेखक का मानना है कि महिलाओं की स्थिति, महिला सशक्तिकरण के अर्थ के आस-पास भी नहीं है, फिर भी वे कुछ अन्तरराष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों के माध्यम से राजनीति, अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक शक्तियों को समझने का प्रयास कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सकारात्मक व नकारात्मक बदलाव आए है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रयास भी किए गए, जिनमें से पंचायती राज में आरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को भी इंगित किया गया है तथा इस दिशा में अब तक हुए कार्यों के मुल्यांकन का प्रयास भी किया गया है।

भोला नाथ घोष, "रुरल वीमैन लीडरशिप", मोहित पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2002, पृष्ठ संख्या 1-188 । इस पुस्तक में ग्राम पंचायतों में महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन है। 73वें संवैधानिक संशोधन की बदोलत ग्राम पंचायतों में आरक्षण के कारण महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या और भूमिका पर विचार किया गया है। इस पुस्तक में उनकी जागरूकता विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता तथा विभिन्न जनहित के मामले में निर्णय लेने की क्षमता का मुल्यांकन भी किया गया है।

शमशेर सिंह मालिक, "द न्यू पंचायती राज: रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टेट ऑफ़ हरियाणा", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2002, पृष्ठ संख्या 81-88 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायती नेतृत्व के सामाजिक एवम् आर्थिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए कहा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की भावनानुरूप बदलाव नहीं आ पाए है। लेखक ने इन संस्थाओं और स्वस्थ सामाजिक वातावरण, राज्य या सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति, शक्तियों और साधनों के बंटवारे के लिए प्रशासनिक तत्परता का अध्ययन किया है।

मोहिन्द्र सिंह, "रोल ऑफ़ चेयरपर्सनस ऑफ़ समितिज: ए स्टडी इन हरियाणा", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2002, पृष्ठ संख्या 1-192 । इन्होनें अपने शोध में पंचायतों में महिला आरक्षण को एक उचित कदम माना है। ग्रामीण विषयों के प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है यदि उनको उचित सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाए। यदपि अभी तक महिलाओं की भूमिका प्रभावी नहीं हो पाई है, जिसके कारण महिलाओं को उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को मुखोटा माना है।

मन्दल, "महिलाओं की पंचायती राज चुनावों में सामाजिक एवम् राजनीतिक पृष्ठभूमि", मोहित पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या 1-188 । इस पुस्तक में महिला प्रतिनिधियों के पंचायती राज चुनावों में भाग लेने के कारण, महिलाओं के प्रति पंचायती चुनावों में आरक्षण के बारे में समाज की सकारात्मक एवम् नकारात्मक सोच तथा विभिन्न कारण जिनके द्वारा महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में भाग नहीं लेती आदि का वर्णन किया है।

अनिल कुमार, "ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों की भूमिका: भिवानी खण्ड का एक अध्ययन", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, 2003, पृष्ठ संख्या 1-202 । लेखक ने अपने लघु शोध में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के सम्बन्ध अच्छे है। लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों पर हावी रहते है क्योंकि अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों में पंचायती राज तथा संविधान की जानकारी का अभाव है। यदपि अनुसूचित जाति के सदस्य बैठकों में सामान्य वर्ग की तुलना में अधिक भाग लेते है। अत: स्पष्ट है कि वे ग्राम पंचायतों में अपना स्थान बनाने और भूमिका निभाने का प्रयत्न करते है।

आर. पी. जोशी व रूपा मंगलानी, "भारत में पंचायती राज", मोहित पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृष्ठ संख्या 1-287 । इस पुस्तक में पंचायती राज के विकास एवम् उसके विभिन्न आयामों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि लोकतन्त्र जनता की सहभागिता एवम् नियन्त्रण में निहित है। पुस्तक में महिला आरक्षण की मांग के इतिहास से लेकर महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी, पंचायती राज सहभागिता में उभरती प्रवृतियां और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां तथा उनके विशेष कृत्वयों का भी वर्णन किया है।

सूरत सिंह, "पंचायती राज इन हरियाणा", एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन रिप्रजेनटेसन, कुरुक्षेत्र, 2004, पृष्ठ संख्या 87 । इनके द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् युवा महिलाएं, बुजूर्ग आयु की महिलाओं से ज्यादा प्रतिनिधि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं में भाग लेती है। इसका मुख्य कारण है महिलाओं की पंचायती राज चुनावों में 33% आरक्षण।

जया, "अंडरसटिंग पोवर्टी थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ग्राम पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट मल्लापुरम, केरला (इंडिया)", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एनहांस्ड रिसर्च इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, 2004, 1(3), पृष्ठ संख्या 92 । लेखक ने अपने शोध पत्र में स्वयं सहायता समूह तथा इसको प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन किया हैं। उसने पाया कि स्वयं सहायता समूह वह समूह है जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक एवम् सामाजिक स्थिति मे बदलाव किया जा सकता है।

सोनू नायक अम्बेडकर, "न्यू पंचायती राज अट वर्क, जयपुर", ए.बी.डी. पब्लिशर, जयपुर, 2006, पृष्ठ संख्या 83 । लेखक ने जयपुर की पंचायती राज संस्था में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया। उसने पाया कि 50% महिलाएं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुडी हुई है। केवल 12% महिलाएं ही स्वतंत्रत उम्मीद्वार को मत देना पसंद करती है।

अनिल कुमार मलिक, "रूरल लीडरशिप: अ स्टडी ऑफ़ इमर्जिंग पैटर्न्स इन द स्टेट ऑफ़ हरियाणा", एम.फिल. शोध ग्रन्थ, लोक प्रशासन विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, 2007, पृष्ठ संख्या 1-177 । इस लघु शोध में हरियाणा के चार जिले जिनमें अम्बाला, करनाल, रेवाडी व जींद शामिल है। इनमें विभिन्न पंचायती प्रतिनिधियों से प्राप्त आकड़ों के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक कार्यप्रणाली आदि का गहन अध्ययन करते हुए महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों की सहभागिता पर प्रकाश डाला हैं। जिसमें वे इस निष्कर्ष पर पँहुचे कि पंचायतों में अब तुलनात्मक रूप से युवा नेतृत्व बढ़ रहा है। लेकिन महिलाओं की उपस्थिति अभी प्रारम्भिक दौर में है क्योंकि वे अभी प्रतिनिधित्व के तौर-तरीके सिख रही है, तथा उनके पुरुष साथी अभी भी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधि नहीं मानते।

मणि शंकर अय्यर (फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ पंचायती राज इन इंडिया), "स्टडी इन ई.डब्लू.आर इन पंचायती राज इंस्टिट्यूट", मिनिस्टर ऑफ़ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 2007, पृष्ठ संख्या 1-177 । इस पुस्तक में महिलाओं को सामाजिक एवम् राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद तथा महिलाओं का

पंचायती राज चुनावों में 33% आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की महिलाएं भी बहुत ज्यादा मतों से विजयी होती है, उन महिलाओं की तुलना में जो महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। उसने अपने अध्ययन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की प्रोफाइल, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राजनीतिक व्यवसाय, निर्वाचित महिला प्रतिनिधिओं की राजनीतिक चुनावों में भाग लेने की गुणवता, महिलाओं की राजनीति में भाग लेने से उनके समाज का विकास तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की निर्धारकों का अध्ययन किया है।

कोल और साहनी, "महिलाओं की पंचायती राज में होने वाली समस्याए: जम्मू -कश्मीर के जिले जम्मू और कठुवा में एक अध्ययन", स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइन्स, 2009, 3(2), पृष्ठ संख्या 172 । इस शोध पत्र में पाया गया कि 33 महिलाओं में से 2 महिलाएं ऐसी है, जिनका निर्वाचन पंचायत में हुआ तथा उनका भी सम्मान नहीं किया जाता था। इन 33 महिलाओं में 23-50 वर्ष की 66% महिलाएं, 51-70 वर्ष की 18% महिलाएं तथा 70 वर्ष से ज्यादा 2% महिलाएं थी।

मंजुशा, "ट्रिबल विमेन एम्पोवेरमेंट थ्रू कुडुम्ब्श्री यूनिट: ए स्टडी ऑन दा उल्लादान ट्रिब ऑफ नॉर्थ पारावुर तालुक इन एर्णाकुलुम ऑफ केरला", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडीसीपालीनारी रिसर्च, 2010, 2(12), पृष्ठ संख्या 335 । लेखक ने वर्तमान शोध पत्र मे पाया कि कुडुम्ब्श्री के बाद महिलाओं की सामाजिक एवम् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आए है।

सुरेश सिंह, "स्वेडन और भारत की महिलाओं का पंचायती राज के प्रति जागरूकता", मोहित पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2011, पृष्ठ संख्या 1-254 । लेखक द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार स्वेडन की महिलाएं भारत की महिलाओं की तुलना में ज्यादा जागरूक है। क्योंकि वंहा पर बेरोजगारी, अनपढ़ता तथा जनसंख्या जैसी समस्या नहीं है। भारत में केवल 12% महिलाएं ऐसी है जिनको पंचायत के आय के स्त्रोत; शक्ति और कार्य; महिलाओं की स्थिति; लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का ज्ञान है।

बीवी और देवी, "रोल ऑफ सेल्फ ग्रुप्स इन एम्पोवेरिंग रुरल विमेन इन इंडिया", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ऑफ सोशल साइन्स, 2011, 5(9), पृष्ठ संख्या 105 । लेखक ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का अध्ययन किया और उसने पाया कि बहुत सी ग्रामीण महिलाएं सामाजिक और आर्थिक मुसीबतों का सामना करती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गाँवों में एक समूह बनाकर एक प्रकार से महिलाएं अपने बचत का पैसा इस समूह में डालकर उसका समय पर प्रयोग कर सकती है। शिक्षा, आय तथा संचार मीडिया आदि वो तथ्य है जिनके माध्यम से महिलाओं की आर्थिक एवम् सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। उसने स्वयं समूह के मार्ग में आने वाली बाधाएँ जैसे: ग्रामीण महिलाओं द्वारा इस समूह का कम प्रयोग करना, गरीबी, आत्मविश्वास की कमी, समूह की भावना कम होना, अप्रभावशाली नेतृत्व तथा प्रबंधकीय कौशल आदि का अध्ययन किया।

राकेश संधू तथा सुशील शर्मा, "फैक्टर्स इन्फ्लुसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ़ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टिट्यूट: ए स्टडी ऑफ़ राजस्थान", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ऑफ सोशल साइन्स, 2012, 6(9), पृष्ठ संख्या 84 । इस शोध पत्र में 41 प्रतिनिधि महिलाओं का अध्ययन किया गया जो राजस्थान के जिला करोली (खण्ड हिनुन तथा नंदोली) से चुनाव लड़ रही थी। उसने पाया कि 41 प्रतिनिधि महिलाओं में 5% प्रतिनिधि महिलाएं प्राथमिक, 28% प्रतिनिधि महिलाएं अनपढ़, 17% प्रतिनिधि महिलाएं माध्यमिक तथा 3% प्रतिनिधि महिलाएं स्नातक थी। इन्होनें 41 प्रतिनिधि महिलाओं का जातीय आधार पर वर्णन किया तथा पाया कि 27% प्रतिनिधि महिलाएं सामान्य वर्ग, 39% प्रतिनिधि महिलाएं अन्य पिछड़ा वर्ग, 27% प्रतिनिधि महिलाएं अनुसूचित जाति तथा 7% प्रतिनिधि महिलाएं अनुसूचित जन-जाति से सम्बन्ध रखती थी।

केनेथ, कलयानी ओर सीना, "सोसीओ-इकनॉमिक चेंज ऑफ विमेन थ्रू कुडुम्ब्श्री: ए स्टडी फ्रम पुथेनवेलीकारा ऑफ केरला स्टेट (इंडिया)", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ऑफ सोशल साइन्स, 2012, 1(2), पृष्ठ संख्या 7 । इस शोध पत्र में अध्ययन किया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से गरीबी रेखा से नीचे वाली महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया। विभिन्न प्रकार की प्रश्नावली के माध्यम से पता चला कि कुडुम्ब्श्री के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिला तथा इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया।

रेनू कुमारी और सियाराम सिंह, "स्टडी ऑन दा पार्टीसिपेसन ऑफ़ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीटूट इन बिहार", इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 2012, 12(2), पृष्ठ संख्या 96 । लेखक ने अपने शोध अध्ययन में 50 प्रतिनिधि महिलाओं का उतरदाता लिया। उसने पाया कि 90% प्रतिनिधि महिलाएं ऐसी थी जो पंचायती बैठकों के प्रति समयनिष्ठ थी, 80% प्रतिनिधि महिलाएं पंचायती बैठकों में उपस्थित रहती थी, 46% प्रतिनिधि महिलाएं पंचायती बैठकों में अपने सुझाव देती थी तथा 18% प्रतिनिधि महिलाएं ऐसी थी जो कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपना मत ड़ालती थी।

पत्राचार पता
Assistant Professor in Political Science,
Isharjyot Degree College Pehowa,
Kurukshetra, Haryana (India)
Contact No. -91+8814819789
Email-ajayindorakuk@yahoo.com

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

[1]प्रकाश, जी. और प्रमाणिक, आर., "महिला अधिकारिता और पंचायती राज: मध्य प्रदेश का एक प्रयोग सिद्ध अध्ययन", आंबेडकर जर्नल ऑफ़ सोशल डेवलपमेंट जस्टिस, 2006, 14(1), पृष्ठ संख्या 109 ।

[2]बारीक़, सी. और उमेश साहू, "पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2008 ,।

[3]शुक्ला, अन. पी., "भारत में स्थानीय स्वशासन", नवयुग पुस्तक इंटरनेशनल, दिल्ली, 2011 ।

[4]गोएल, अस. अल. तथा रजनीश शालिनी, "भारत में पंचायती राज: सिद्दान्त और अभ्यास", दीप और दीप, पब्लिकेशन, दिल्ली, 2003।

[5]मथेव, जी., "भारत में पंचायती राज", इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट्स पब्लिशिंग कंपनी, दिल्ली, 2000।

[6]मनोज कुमार और अहमद अखलाख, "पंचायती राज के उभरते मुद्दें", आर. के. पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या 41।

[7]जितेन्द्र गुप्ता, "पंचायती राज का धुराहीन रथ ,"कुरुक्षेत्र, अप्रैल, 1996, पृष्ठ संख्या 41।

[8]रमेश कुमार, "73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के तीन वर्ष और पंचायती राज ," कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या 8।

[9]रजनी कोठारी, "भारत में राजनीति" ,ओरिएण्ट लोगमैन लिमिटेड, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ संख्या 31।

[10]चतुर्वेदी, टी.अन. और जैन आर. के., "पंचायती राज इंडियन इंस्टिट्यूट", कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1998, पृष्ठ संख्या 117।

[11]विश्वमित्र प्रताप चौधरी, "भारत में पंचायती राज का उदभव एवम् विकास", पुष्पांजलि प्रकाशन, दिल्ली, 2009, पृष्ठ संख्या 156।

[12]मनीष कुमार, "ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका", कुरुक्षेत्र, 2007, पृष्ठ संख्या 21।

5/9/2021